बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक–

संख्या–2/वन विविध–13/16– /प0व0, अररिया शहर से लगभग 20 कि0मी0 उत्तर–पश्चिम पर अरहा मदारगंज सुरक्षित वन अवस्थित है। राजस्व विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं0–सी0एफ0–17025/67–2113–आर0, दिनांक 22 जुलाई, 1967 द्वारा अरहा मदारगंज सुरक्षित वन अधिसूचित है, जिसका रकबा 259.11 एकड़ है। यह क्षेत्र हिमालय तराई का नम साल वन क्षेत्र का भाग रहा है। परंतु अत्यधिक बायोटिक प्रेशर एवं अन्य कारणों से यह वन क्षतिग्रस्त हो गया था। सरकार द्वारा विगत कुछ वर्षो से इस वन को पुर्नस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप वन क्षेत्र के हरित आवरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है, लेकिन अभीतक यह अपने मूल स्वरूप में नहीं आ सका है।

इसी वन क्षेत्र की मिट्टी में पैदा हुए एवं पले–बढ़े महान हिन्दी साहित्यकार फणीश्वरनाथ **"रेणु"** का नाम इस वन से जोड़ कर समीपवर्ती ग्राम के लोगो में इस वन के प्रति लगाव एवं जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा अरहा मदारगंज सुरक्षित वन का नाम **"रेणु वन"** किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त के आलोक में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अररिया जिलान्तर्गत अरहा मदारगंज सुरक्षित वन **"रेणु वन"** के नाम से जाना जाएगा।

3. इस अधिसूचित वन क्षेत्र में संदर्भित वन अधिनियम प्रभावी रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(रत्नेश झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

राजू कुमार

ज्ञापांकः– 2/वन विविध–13/16– /प0व0, पटना 15, दिनांक..............

प्रतिलिपिः– ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि मुद्रित गजट की पाँच सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ह0/–
(रत्नेश झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– 2/वन विविध–13/16– /प0व0, पटना 15, दिनांक..............

प्रतिलिपिः–मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्य (पर्यावरण एवं वन) मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/निदेशक परिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(रत्नेश झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– वानिकी निगम–02/14– 926 **/प0व0, पटना 15, दिनांक**....20/03/18

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/3/18
(रत्नेश झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।